बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के तृतीय बैठक की कार्यवाही

दिनांक–29.06.2020, समय : 11.00 पूर्वाह्न

उपस्थिति यथा पंजी

अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् ने, पर्षद् की दूसरी बैठक दिनांक–25.06.2019 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

श्री पी॰ आर॰ सिन्हा, विशेषज्ञ सदस्य, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा Expert Committee of Department of Biotechnology Govt. of India की बैठक के कारण इस बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गई है।

श्री डी॰ एन॰ सिंह, विशेषज्ञ सदस्य, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा भी कोविड–19 का उल्लेख करते हुए बैठक में सम्मलित होने में असमर्थता व्यक्त की गयी। उनसे प्राप्त ई–मेल टिप्पणी की प्रति सभी सदस्यों को वितरित की गई।

अध्यक्ष द्वारा तीसरी बैठक की कार्यावली के विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। श्री सिंह, के आलेख में उठायें गये बिन्दुओं पर विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के निर्णयों में उसे उचित स्थान सम्मिलित किया जाय। कार्यावली सूची के अनुसार विचार–विमर्श के उपरांत बिन्दुवार निम्न निर्णय लिये गये :–

1. (क) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान बेंच), नई दिल्ली द्वारा प्रासांगिक O.A. No.-347/2016 में दिनांक–09.08.2019 एवं दिनांक–18.03.2020 के आदेश का अनुपालन शीघ्रातिशीघ्र किये जाने का निर्णय लिया गया।

   (ख) अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा पर्षद् की दूसरी बैठक में लिए गये निर्णय के आधार पर झारखंड राज्य के निर्णयों के अनुरूप EOI के आधार पर चयन किये गये ग्यारह (11) संस्थानों के चयन तथा उन्हें बाईस जिलों में कार्य आवंटन की समपुष्टि की गई। दिनांक 31.03.2020 को MOU की समय सीमा समाप्त होने के बाद इनकी सेवा को विस्तार नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

   (ग) शेष 16 जिलों हेतु संस्थाओं के चयन प्रक्रिया को निरस्त किये जाने निर्णय लिया गया।

   (घ) उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर पुनः ग्रामीण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग के सहयोग से शेष बचे (1989) स्थानीय निकायों में BMCs के गठन को पूरा किये जाने का निर्णय लिया गया।

   (ङ) ग्यारह (11) चयनित संस्थानों द्वारा बाईस (22) जिलों में BMC के गठन में किये गये कार्यों के आधार पर भुगतान का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :–

   i. दिनांक 26.12.2019 तक गठित BMCs हेतु प्रति BMC रू० 4,000/– का अधिकतम भुगतान किया जायेगा, बशर्ते कि वे MOU में दी गई सभी शर्तों को पूरा करते है। कुछ शर्त पूरा करने की दशा में कार्य के समानुपातिक भुगतान किया जायेगा। अधिकतन भुगतान नहीं करने की स्थिति में कारणों सहित अगली बोर्ड की बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

   ii. दिनांक 27.12.2019 या उसके उपरांत गठित BMCs हेतु MOU की राशि को 50% संशोधित करते हुए प्रति BMC अधिकतम रू० 2,000/– भुगतान किये जाने पर

email:-bsbbbihar@gmail.com

Scanned with CamScanner

स्वीकृति दी गई। भुगतान, से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा की संस्थानों द्वारा BMC के गठन की प्रति एवं संबंधित संकल्प (Resolution) की प्रति एवं उनके द्वारा गठन के लिए संबंधित मुखिया/पंचायत सचिव से जैव विविधता समिति गठन से संबंधित विचार–विमर्श/प्रशिक्षण अथवा अन्य संबंधित अभिलेख संलग्न की गई हो तथा MOU की शर्तों के अनुसार पूर्ण हो। कार्य के समानुपातिक भुगतान होगा। अधिकतम भुगतान नहीं होने वाले मामलों में प्रत्येक के कटौती करने के कारणों के प्रतिवेदन के साथ अगली बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

iii. राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राप्त Grant-in-Aid (गैर–वेतन) मद के आवंटन से किये जाने का अनुमोदन किया गया।

(च) पर्षद् के द्वितीय बैठक के निर्णयानुसार झारखंड जैव विविधता बोर्ड, द्वारा अपनाये गये मॉडल के अनुसार NGO के सहयोग से PBR बनाने में कुल व्यय लगभग रू० 29.00 करोड़ आता है तथा NBA की अर्ध सरकारी पत्र जो मुख्य सचिव, बिहार को प्रेषित है (NBA/5/30/2019/SBB/NGT, दिनांक–30.03.2020) के अनुसार Quality PBR तैयार करने में रू० 5.00/7.00 लाख प्रति स्थानीय निकाय के अनुसार कम से कम 9101 x 5.00 = 455.05 करोड़ रूपये का व्यय होगा। इतनी बड़ी रकम व्यय करने का कोई औचित्य नहीं है और न हीं निर्धारित समय–सीमा में इस प्रकार की अध्ययन करने के लिए बड़ी संख्या में विषय विशेषज्ञ उपलब्ध है। बजट में इतनी बड़ी राशि उपलब्ध भी नहीं है।

(i) जन जैव विविधता पंजी (PBR) के निर्माण हेतु आधारभूत आँकड़ों के संग्रह कार्य में सहयोग हेतु विभिन्न विभागों के Frontline कर्मियों का सहयोग लेने पर चर्चा हुई। जिसमें पंचायती राज विभाग के पंचायत सचिव (जो जैव विविधता प्रबंधन समिति के पदेन सचिव भी है) तथा कृषि विभाग के कृषि सलाहकार का सहयोग प्राप्त करनें पर बिचार किया गया। पंचायत सचिव को कार्यो की अधिकता को देखते हुए कृषि सलाहकार को उनके कार्य क्षेत्र के अधीन गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के सहयोग से PBRs के निर्माण हेतु आँकड़े संग्रह कर विहित प्रपत्र में समर्पित करने की जिम्मेवारी दिये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित कृषि विभाग के प्रतिनिधि श्री अनिल कुमार झा, उप निदेशक द्वारा अनुरोध किया गया कि विभाग को तत्संबंधी प्रस्ताव भेजा जाय तथा मुख्यालय स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्रों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाय। उनके द्वारा कृषि सलाहकारों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

उपरोक्त प्रक्रियों को पूरा करने तथा जन जैव विविधता पंजी तैयार करने की समय सीमा दो माह निर्धारित की गई तथा इस कार्य हेतु कृषि सलाहकारों को रू० 2,500/– की एकमुश्त राशि प्रति PBR अतिरिक्त मानदेय के रूप में देने का निर्णय लिया गया।

(ii) शहरी स्थानीय निकायों में गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के कार्य क्षेत्र में जन जैव विविधता पंजी के निर्माण में सहयोग हेतु A.N. Sinha Institute, Patna/ADRI, Patna अथवा ऐसे महाविद्यालय से सर्म्पक किया जाय जिसमें पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई हो तथा इस पाठ्यक्रम में पढ़ने बाले लड़को को सम्मिलित कर उनसे जन जैव विविधता पंजी हेतु आँकड़े इक्कठा कर पंजी में प्रविष्ट कराया जाय। इस कार्य के लिये मानदेय के रूप में प्रति नगर पंचायत रू० 1,500/–, प्रति नगर परिषद् रू० 2,500/– तथा प्रति नगर निगम हेतु रू० 4,000/– भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया।

Scanned with CamScanner

2. स्वीकृत बजट तथा पर्षद् द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के अधीन योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए वित्तीय शक्तियों (तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति) एवं निविदा संबंधी शक्ति निम्नवत् (Bihar Biological Diversity Rule, 2017, के बिन्दु 17 (4)) प्रत्यायोजित की जाती है :–

क्र. सं.	पदनाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासनिक स्वीकृति	निविदा निष्पादन की शक्ति
1.	अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना	पूर्ण	1.00 करोड़ तक	पूर्ण
2.	सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना	3.00 करोड़ तक	30.00 लाख तक	3.50 करोड़ तक
3.	संयुक्त निदेशक, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्	1.00 करोड़ तक	20.00 लाख तक	–
4.	उप निदेशक, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्	25.00 लाख तक	5.00 लाख तक	–

निविदा समिति का गठन निम्नवत् होगा

(क) 3.50 करोड़ तक की राशि हेतु

i. सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना – अध्यक्ष
ii. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार, पटना – सदस्य
iii. संयुक्त निदेशक, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् – सदस्य
iv. उप निदेशक, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् – सदस्य

नोटः– क्रमांक 1 एवं 2 में वरीय पदाधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगें।

(ख) 3.50 करोड़ से उपर की राशि हेतु

i. अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना – अध्यक्ष
ii. सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् – सदस्य
iii. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार – सदस्य
iv. संयुक्त निदेशक, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् – सदस्य

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक–2/वन्यप्राणी–13/2017–1708(ई०)/प०व०ज०प०, दिनांक–03.12.2019 द्वारा स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति निम्नवत् गठित की जाती है –

i. अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना – अध्यक्ष
ii. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार, पटना – सदस्य
iii. अनु० जाति/जन जाति के एक पदाधिकारी – सदस्य
iv. सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना – सदस्य

जिसपर विभाग का अनुमोदन प्राप्त है, को अनुमोदित किया गया। चयन समिति द्वारा किये गये चयनित अभ्यार्थियों का अनुमोदन पर्षद् (Appointing authority) में किये जाने के उपरांत हीं नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना के कार्यालय को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, के शास्त्रीनगर, पटना स्थित भवन के पाँचवे तल पर स्थानांतरित करने का अनुमोदन किया गया।

Scanned with CamScanner

5. वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल–I के 57.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एवं रोहतास वन प्रमंडल के 2.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषत किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–37 के अनुसार स्थानीय निकायों के अनुमोदनोंपरांत इसे सरकार को अधिसूचना निर्गत करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

6. अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2020 के आयोजनों (Online Quiz) का अनुमोदन किया गया।

7. (क) विभागीय सचिव के लिए स्वीकृत सीमा/राशि के अधीन हीं वाहन का क्रय किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गई।

(ख) बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण हेतु निविदा निकाल कर दैनिक/मासिक किराये के आधार पर वाहन भाड़े पर लिये जायें।
(ग) भुगतान Grant-in-Aid के गैर–वेतन मद से विकलनीय होगा, पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

8. कार्यालय भवन के रख–रखाव एवं सुरक्षा इत्यादि हेतु Outsourcing एजेंसी के टेंडर के माध्यम से चयन हेतु अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना को प्राधिकृत किया गया।

9. बैठक में कार्यावली के अतिरिक्त भी निर्णय लिए गयेः–

(क) पर्षद् की बैठक प्रत्येक तिमाहीं में रखा जाय। पर्षद् की अगली बैठक एक माह में रखी जाय जिसमें,

(i) वर्ष 2020–21 के स्वीकृत बजट का अनुमोदन

(ii) स्वीकृत बजट के अधीन APO की स्वीकृति हेतु पर्षद् के समक्ष रखी जाय।

(iii) वित्तीय वर्ष 2018–19 के ऑडिट रिपोर्ट को बोर्ड से स्वीकृत हेतु रखी जाय तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 की ऑडिट रिपोर्ट भी शीघ्र तैयार की जाय।

(iv) पर्षद् के विशेषज्ञ सदस्य के बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक शुल्क के संबंध में राज्य में अन्य बोर्ड/निगम के प्रावधानों को उद्धरित करते हुए स्वीकृत हेतु प्रस्ताव रखा जाय।

(ख) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों में किये गये जैव विविधता सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट की प्रति विभाग से प्राप्त कर, उसका मुद्रण पुस्तक प्रारूप (10 कॉपियों) में पर्षद् द्वारा कराई जाय, जिसकी प्रति पर्षद् के कार्यालय के अतिरिक्त सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जायेगी तथा एक प्रति संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पुस्तकालय में संरक्षित करने हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

(ग) पर्षद् की अगली बैठक में अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिससे जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन में आवश्यक सहयोग प्राप्त हो सके।

6/7/2020
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

6.7.2020
अध्यक्ष,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

email:-bsbbbihar@gmail.com

Scanned with CamScanner

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना

ज्ञापांक बी० - 166, दिनांक 06.07.2020

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, कृषि विभाग, पटना/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/ श्री अरविन्दर सिंह, मुख्य वन संरक्षक सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, पटना। (विशेष आमंत्रित)/श्री पी० आर० सिन्हा, सेवानिवृत्त, निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून एवं कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिव आई० यू० सी० एन०, इंडिया, राष्ट्रीय वन्यजीव पर्षद् के सदस्य/डॉ० द्विजेन्द्र नाथ सिंह, सेवानिवृत्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरूणाचल प्रदेश एवं पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली/श्री आर० बी० सिंह, सेवानिवृत्त, निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/7/2020

(संजय कुमार सिन्हा)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

ज्ञापांक बी० - 166, दिनांक 06.07.2020

प्रतिलिपि :–अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना सूचनार्थ प्रेषित।

6/7/2020

(संजय कुमार सिन्हा)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

Scanned with CamScanner